

नक्षत्र सिंह बनाम जलन्धर सिंह आदि
अन्तर्गत धारा 212 आरटीए नम्बर 33 सन् 2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2014/00121

तामिल हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

30.05.2025

अधिवक्तागण उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पर की गई बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अर्ज किया कि चक 22 ओ ए, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र गोविन्दगढ, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2068 ता 2071 के खाता संख्या 34/31 के मुरब्बा नम्बर 8, 9, 11, 16, 32, 36, 38/4, 38/8, 38/20 की कुल 11.057 हैक्टेयर भूमि व चक 24 ओ, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र गोविन्दगढ, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 2073 के खाता संख्या 55/57 के मुरब्बा नम्बर 9, 17, 30, 42, 133/20 की कुल 9.387 हैक्टेयर भूमि में से अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 के नाम दर्ज भूमि की मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति के आदेश दिए जाने बाबत निवेदन किया। अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादगत भूमि जद्दी जायदाद की तारीफ में नहीं आती है और ना उक्त भूमि में प्रार्थी का जन्म से कोई हक व हिस्सा बनता है। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है। प्रार्थी को कोई वाद कारण हासिल नहीं है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए खारिज फरमाया जावे। लिहाजा प्रार्थी के द्वारा पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है, जिससे यह सिद्ध होता हो कि वादगत भूमि जद्दी जायदाद की तारीफ में आती है। अतः पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में बनना प्रतीत नहीं होते है। प्रार्थी/वादी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली-भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता हैं। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।



सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपस्थंड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)